>

Title: The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries laid a statement regarding Status of implementation of the recommendations contained in the 39th Report of the Standing Committee on Agriculture on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 21st Report of the Committee on `Infrastructural Facilities for Development of Food Processing Industries – An Evaluation pertaining to the Ministry of Food Processing Industries'.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): सभापति महोदय, मैं लोक सभा की माननीय अध्यक्षा के निदेशों के अनुसरण में, स्थायी कृषि समिति की 39वीं रिपोर्ट मे दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह सभा पटल पर रखता हूँ।

स्थायी कृषि समिति की 39वीं रिपोर्ट संसद में दिनांक 23 नवंबर, 2012 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाएं-एक मूल्यांकन से संबंधित है।

उक्त 39वीं रिपोर्ट में समिति द्वारा 20 सिफारिशें/प्रेक्षण किए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें अवसंरचना विकास, मेगा खाद्य पार्क, शीत शृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्थापना एवं आधुनिकीकरण स्कीम, स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम, गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक एवं अनुसंधान एवं विकास व अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम, संस्थान सदृढ़ीकरण स्कीम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी), बूचड़खाना स्कीम तथा नई स्कीमों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति तथा समिति को दी गई सूचना मेरे वक्तव्य के संलग्नक में दी गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया गया है। मैं संलग्नक में दी गई सारी सामग्री पढ़ कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे पढ़ा समझा जाए।

...(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 1400 hours.

<u>12.07 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.